

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 8 जनवरी 2013
विषय:- समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) के औपचारिक गठन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1774/02-1.1.5/2012-13 दिनांक 30.1.2013 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के क्रम में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई गठित किये जाने की औपचारिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान किये जाने का मुझे निदेश हुआ है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल 05 पदों (परियोजना समन्वयक, वित्त नियन्त्रक, सहायक प्रबन्धक-वित्त, स्टैनोग्राफर एवं परियोजना सहायक) एवं उनके वेतनमान आदि के बारे में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

391

संख्या /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उपासक 272 सी, फेज-2 बसन्त विहार देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कौषाधिकारी/कौषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जेएल0शर्मा)
अनु सचिव।